कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी

पत्रांक......759 पटोरी, दिनांक...11.6.2021

प्रेषक:– कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पटोरी

सेवा में,

मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
संवेदक,
शंभूपट्टी, समस्तीपुर।

विषय:– **मोहिउद्दीननगर प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत आपके द्वारा एकरारित पथ आनंद गोलवा से रजैसी पथ का अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ का अनुरक्षण कार्य आपके द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है। पथ की हालत खराब है। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अतिवृष्टि/बाढ़ 2020 से क्षतिग्रस्त पथांश का मरम्मती कार्य करवाया गया है तथा पुलिया के Vent की साफ–सफाई भी करवाई गई है। परंतु फ्लैंक की सफाई, रोड फर्नीचर, मेंटेनेंस बोर्ड, पॉट–पैच मरम्मती, इन्फॉर्मेसन बोर्ड आदि का अनुरक्षण कार्य नहीं करवाया गया है। जिसका अनुरक्षण हर हाल में करवाना अनिवार्य है।

विदित हो कि बाढ़/बरसात के पूर्व पथों की मरम्मती कार्य को पूर्ण करने को लेकर विभाग सख्त है तथा विभागीय निर्देशानुसार हर हाल में 15 जून 2021 तक अनुरक्षणाधीन सभी पथों का मरम्मती कार्य पूर्ण करवा लेना है। कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का विभागीय निर्देश प्राप्त है।

अतः निदेशित किया जाता है कि प्रत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करें अन्यथा लापरवाही बरतने पर आपके विरूद्ध एसबीडी/एमबीडी की सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्य को रिसाइंड कर आपके द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि जब्त करते हुए काली सूची में डालने हेतु विभाग से अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे अंतिम स्मार समझते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता दें अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें।

विश्वासभाजन

11.6.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल पटोरी

Scanned with CamScanner